

— आदेश —

जनपद चमोली अन्तर्गत गौचर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 024.500 से किमी 027.500 तक) के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.230 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.460 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/216/2017/एफ०सी०/1670 दिनांक 12.11.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली अन्तर्गत गौचर-सिदौली-धनपुर मोटर मार्ग (किमी 024.500 से किमी 027.500 तक) के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.230 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम सिन्द्रवागी लग्गा झिरकोटी तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-16 के खसरा सं०-147 रकबा 0.445 है० भूमि मध्ये 0.189 है०, ख०खा० सं०-17 के खसरा सं०-186 रकबा 1.326 है० भूमि, ख०खा० सं०-10 के खसरा सं०-1399 रकबा 1.240 है० भूमि मध्ये 0.240 है० भूमि, खसरा सं०-1432 रकबा 1.705 है० भूमि मध्ये 0.705 है० भूमि कुल 2.460 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, एवं ग्राम चोरड़ा की ख०खा० सं० 12 के खसरा सं०-212 रकबा 1.816 है० भूमि, खसरा सं०-216 रकबा 0.289 है० भूमि मध्ये 0.184 है०, कुल 2.000 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, अर्थात् कुल रकबा 4.460 है० को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/ (VIII)(II) /2012-18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० भदौरेया),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3136 / छबीस-14 (2019-2020) गोपेश्वर: दिनांक: 27 जनवरी 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गौचर।

जिलाधिकारी
चमोली।